

दिनांक-20.07.2026 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पेराई सत्र 2026-27 के लिए चीनी मिल एवं गैर चीनी मिल के ईख आच्छादित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

चीनी मिल क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय ईख पदाधिकारी/श्री बांके बिहारी, सहायक निदेशक (शष्य), व्याधिविद्/श्रीमती रक्षा शर्मा, डाटा एनालिस्ट/श्रीमती मनीषा रानी, सी.एम. फेलो/कार्यरत चीनी मिलों के प्रतिनिधि।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

पेराई सत्र 2026-27 के लिए ईख आच्छादित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण की समीक्षा की गयी। गन्ना फसल का रकवा, भौतिक स्थिति, प्रचलित गन्ना प्रभेदों एवं गन्ना किसानों का पंजीकरण की समीक्षा की गयी।

इस क्रम में ईखायुक्त, बिहार द्वारा निम्न निदेश दिया गया :-

1. सभी चीनी मिल द्वारा शत-प्रतिशत गन्ना आई.डी. किसानों का बनाना सुनिश्चित किया जाय। (अनुपालन-मिल प्रबंधन)।
2. सभी ईख पदाधिकारियों को पिछले तीन वर्ष में गन्ना का ग्रामवार रकवा से संबंधित प्रस्तुतीकरण तैयार किया जाय। (अनुपालन- ईख पदाधिकारी)।
3. सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्वी चम्पारण/मुजफ्फरपुर/दरभंगा को विशेष रूप से क्षेत्र विस्तार हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें। (अनुपालन-सहायक निदेशक, ईख विकास)।
4. ईख पदाधिकारी, मोतिहारी एवं सहायक निदेशक, ईख विकास को अगले तीन वर्ष का क्षेत्र विस्तार हेतु रोड मैप तैयार करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन- सहायक निदेशक, ईख विकास एवं ईख पदाधिकारी)।
5. सभी ईख पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, ईख विकास को अक्टूबर माह से रोपन का कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। (अनुपालन-सहायक निदेशक, ईख विकास एवं ईख पदाधिकारी)।
6. सभी चीनी मिल नो केन एरिया को चिन्हित करें जिसका आच्छादन 5 एकड़ से कम हो। (अनुपालन-मिल प्रबंधन)।
7. सभी चीनी मिलों को Truthful Labelled Seed/ Certified Seed/Single Bud Plantlets का stock entry तीन दिनों के अन्दर केन केयर पोर्टल पर entry सुनिश्चित करें। (अनुपालन-मिल प्रबंधन/सहायक निदेशक)।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अनिल कुमार झा)

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-02-800-02/2024-1328/5040/पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2026

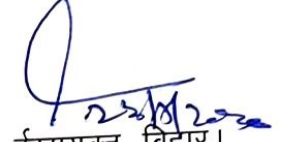
प्रतिलिपि- ईख पदाधिकारी/सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक, ईख विकास/महाप्रबंधक, सभी कार्यरत चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः.....2

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-02/2024-1328/50470/पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/श्रीमती रक्षा शर्मा, डाटा एनालिस्ट/श्रीमती मनीषा रानी, सी.एम. फेलो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-02/2024-1328/50470/पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि-आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।